फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

मंगतुराम बनाम **शकुन्तला**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 140 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
09.10.2020	प्रार्थी/सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण/गैरसायल 1, 2 इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 70/70 की कुल 3.4530हैक में से किसी विशेष हिस्सा को आगामी पेशी तक बेचान नही किया जावे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायइी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 04.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (मुहर: उपखण्ड अधिकारी नोहर)	
4.12.20	वकील सायल उपस्थित। गैरसायल उप. नहीं। गैरसायलान तलबी हेतु पत्रावली दि० 26.3.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26.3.21	~~वकील सायल उपस्थित गैरसायलान की तलबी हेतु आवश्यक तौर से रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें पत्रावली दिनांक 15.6.21 को पेश हो।~~ (हस्ताक्षर)	
18.5.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में [illegible] पत्रावली दि० 23.7.21 को पेश हो।	

Scanned with CamScanner

23/7/21

प्रार्थी सायल उपस्थित है अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण की तामील हेतु आवश्यक नोटिस रजिस्टर्ड प्रेषित किये जावे। पत्रावली दि. 22/10/21 को पेश हो।

22/10/21

पत्रावली प्रस्तुत। गांव के पंच संग अभिभाषक मौका रजिस्टर में पेश हुये। प्रार्थीगण के मध्य में आपसी बांट का फैसला किया गया व खसरा के नक्शा बांट वारे प्रस्तुत किये। बिना दबाव के सहमति प्रकट की गई है अतः प्रार्थीगण की सहमति व आधार पर फैसला किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर